



बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड
Bihar Board Of Open Schooling & Examination



शिक्षा विभाग, बिहार का स्वायत्त संस्थान
An Autonomous Organisation of Department of Education, Govt of Bihar
चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय परिसर, न्याय नगर, मीठापुर, पटना - 800001
Chanakya National Law University Campus, Nyaya Nagar, Mithapur, Patna-800001
Website: www.bbose.org Phone No: 0612-2355563
Email ID: info@bbose.org Fax No : 0612-2355662

पत्रांक - ...1/06.....

पटना, दिनांक - ...1/6/2016

प्रेषक,

एम० रामचंद्रडु, भा०प्र०से०
मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी

सेवा में,

सभी समन्वयक/उप समन्वयक,
बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड के अध्ययन केन्द्र,
बिहार ।

विषय :-

दिनांक - 11.05.2016 एवं दिनांक - 12.05.2016 को बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना से संबंधित अध्ययन केन्द्रों के समन्वयकों/उप समन्वयकों के साथ बोर्ड में शिक्षार्थियों के निबंधन/नामांकन में बढ़ोत्तरी करने के उपायों के संबंध में हुई बैठक की कार्यवाही के कंडिका 7 एवं 17 के विलोपन के संबंध में ।

प्रसंग :-

बोर्ड कार्यालय के पत्रांक - 390 दिनांक - 25/05/2016

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगधीन पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि दिनांक - 11.05.2016 एवं दिनांक - 12.05.2016 को बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना से संबंधित अध्ययन केन्द्रों के समन्वयकों/उप समन्वयकों के साथ बोर्ड में शिक्षार्थियों के निबंधन/नामांकन में बढ़ोत्तरी करने के उपायों के संबंध में हुई बैठक की कार्यवाही के कंडिका - 7 एवं 17 को विलोपित किया जाता है ।

विश्वासभाजन

(एम० रामचंद्रडु भा०प्र०से०)
मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी

दिनांक – 11.05.2016 एवं दिनांक – 12.05.2016 को बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना से संबंधित अध्ययन केन्द्रों के समन्वयकों/उप समन्वयकों के साथ हुई बैठक की कार्यवाही

दिनांक-11.05.2016 एवं दिनांक-12.05.2016 को 11.30 बजे पूर्वाह्न में बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना से संबंधित अध्ययन केन्द्रों के समन्वयकों/उप समन्वयकों के साथ बोर्ड में शिक्षार्थियों के निबंधन/नामांकन में बढ़ोत्तरी करने के संबंध में एक बैठक का आयोजन मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में उपस्थित पदाधिकारीगण एवं समन्वयकों/उप समन्वयकों की सूची संलग्न है।

बैठक का आरंभ करते हुए मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी द्वारा बोर्ड के कार्य-कलापों पर प्रकाश डाला गया और बताया गया कि बोर्ड में शिक्षार्थियों के निबंधन/ नामांकन में तीव्र गति से हास हो रहा है। इसमें कैसे बढ़ोत्तरी की जाय के बिन्दु पर अध्ययन केन्द्रों के समन्वयकों/उप समन्वयकों से विचार-विमर्श किया गया।

(1) लगभग सभी समन्वयकों/उप समन्वयकों के द्वारा यह विचार व्यक्त किया गया कि बोर्ड के प्रमाणपत्रों की मान्यता के संबंध में सभी स्थानों पर प्रश्न उठाया जाता है। मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी द्वारा सभी समन्वयकों/उप समन्वयकों को यह स्पष्ट किया गया कि बोर्ड को भारतीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड मंडल एवं भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा सदस्यता दी गई है, जिसके कारण इस बोर्ड के प्रमाणपत्रों की मान्यता अन्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर के बोर्ड के समान है।

(2) लगभग सभी समन्वयकों/उप समन्वयकों के द्वारा विचार व्यक्त किया गया कि बिहार बोर्ड का उच्च माध्यमिक का परीक्षाफल प्रकाशन हुआ है। जिसमें काफी संख्या में छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं। उन शिक्षार्थियों को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा कम्पार्टमेंटल परीक्षा लेने के पहले BBOSE से TOC के माध्यम से पंजीयन एवं नामांकन के माध्यम से परीक्षा ली जा सकती है। जिससे BBOSE के शिक्षार्थियों की संख्या में वृद्धि हो जायेगी। 1 जून से होनेवाली परीक्षा तिथि में परिवर्तन की आवश्यकता है। इस बीच सभी बोर्डों के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक परीक्षाफल प्रकाशित हो जायेगा। अनुत्तीर्ण छात्र यहाँ से TOC के माध्यम से नामांकन लेकर परीक्षा में शामिल हो सकेंगे।

मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी द्वारा सभी समन्वयकों/उप समन्वयकों को यह स्पष्ट किया गया कि इस संबंध में सरकार से विमर्श कर आवश्यक निर्णय लिये जायेगे।

(अनुपालन-सचिव/वरीय कार्यपालक पदाधिकारी/उप निदेशक, परीक्षा एवं मूल्यांकन)

(3) कतिपय समन्वयकों/उप समन्वयकों के द्वारा यह विचार व्यक्त किया गया कि पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा का अभाव है। इसे पाठ्यक्रम में लाया जाए जिससे बोर्ड के द्वारा रोजगारपरक शिक्षा प्रदान की जा सके।

(अनुपालन- उप निदेशक, व्यावसायिक अकादमिक विभाग)

मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी द्वारा सभी समन्वयकों/उप समन्वयकों को यह स्पष्ट किया गया कि इस संबंध में कुछ आवश्यक कदम उठाये गये हैं और उसका प्रभाव निकट भविष्य में परिलक्षित होने की संभावना है। रोजगारपरक शिक्षा प्रदान करने के लिए बोर्ड के स्व-अध्ययन सामग्रियों में भविष्य में आवश्यक सुधार किया जाएगा।

(4) कतिपय समन्वयकों/उप समन्वयकों के द्वारा यह विचार व्यक्त किया गया कि प्रत्येक सत्र में परीक्षा के आयोजन से पूर्व एक बैठक बुलाई जानी चाहिए। कतिपय समन्वयकों/उप समन्वयकों के द्वारा यह विचार व्यक्त किया गया कि उनसे बोर्ड द्वारा सीधा संपर्क नहीं होने के कारण कार्यों में कठिनाई उत्पन्न होती है।

सभी समन्वयकों/उप समन्वयकों को यह स्पष्ट किया गया कि इस संबंध में गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से प्रत्येक दो माह पर बोर्ड कार्यालय में समन्वयक एवं उप समन्वयक के साथ एक बैठक का आयोजन किया जाएगा। जिसमें कार्यों की प्रगति की समीक्षा की जायेगी।

(अनुपालन- सचिव, व0 का0 पदा0-1, विद्यार्थी सहायता सेवाएँ विभाग)

(5) कतिपय समन्वयकों/उप समन्वयकों के द्वारा यह विचार व्यक्त किया गया कि उनके पास पूर्व से ही अधिक कार्य है, इस कारण बोर्ड से संबंधित कार्यों के निष्पादन हेतु अलग से कार्यालय एवं कर्मियों की व्यवस्था की जानी चाहिए।

मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी द्वारा सभी समन्वयकों/उप समन्वयकों को यह स्पष्ट किया गया कि इस संबंध में सरकार से अनुरोध किया जाएगा।

(अनुपालन- सचिव, व0 का0 पदा0-1, विद्यार्थी सहायता सेवाएँ विभाग, उप निदेशक, परीक्षा एवं मूल्यांकन विभाग)

(6) कतिपय समन्वयकों/उप समन्वयकों के द्वारा यह विचार व्यक्त किया गया कि बोर्ड में निबंधन/नामांकन की प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता है। बोर्ड के कार्यकलापों के संबंध में मिडिया के माध्यम से प्रचार-प्रसार की भी आवश्यकता है।

मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी द्वारा कहा गया कि बोर्ड के प्रचार-प्रसार हेतु व्यापक कार्यक्रम बनाया गया है, जिसे जल्द ही लागू किया जा रहा है।

(अनुपालन- सचिव, व0 का0 पदा0-1, विद्यार्थी सहायता सेवाएँ विभाग, उप निदेशक, परीक्षा एवं मूल्यांकन विभाग)

(7) बोर्ड के विशेष परियोजनाओं यथा हुनर इत्यादि कार्यक्रम को ठीक से लागू नहीं किया गया है। इन परियोजनाओं में लूट-खसोट है। कार्यक्रम के कार्यान्वयन में समन्वय का अभाव दिखता है।

मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी द्वारा कहा गया कि इस संबंध में जाँचोंपरांत समीचीन कार्रवाई की जाएगी।

(अनुपालन- सचिव, उप निदेशक, विशेष परियोजना विभाग)

(8) स्व-अध्ययन सामग्रियों को समय पर अध्ययन केन्द्रों को सीधे भेजे जाने की आवश्यकता है। यह शिक्षार्थियों को समय पर उपलब्ध नहीं हो पाता है।

मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी द्वारा कहा गया कि इस संबंध में बोर्ड के स्तर पर निर्णयोंपरांत त्वरित कार्रवाई की जाएगी। अध्ययन केन्द्र के माध्यम से स्व-अध्ययन सामग्री समय पर उपलब्ध कराने हेतु सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

(अनुपालन- सचिव, व0 का0 पदा0-1, विद्यार्थी सहायता सेवाएँ विभाग)

(9) डी0एल0एड0 के पाठ्यक्रम को अभी तक लागू नहीं किया गया है।

मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी द्वारा कहा गया कि इस संबंध में बोर्ड के स्तर से कार्रवाई की जा रही है।

(अनुपालन- उप निदेशक, व्यावसायिक अकादमिक विभाग)

(10) त्रुटिरहित प्रमाण पत्र समय पर उपलब्ध नहीं हो पाता है। प्रमाणपत्रों को अध्ययन केन्द्र के माध्यम से समय पर उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।

मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी द्वारा कहा गया कि इस संबंध में बोर्ड के स्तर पर अध्ययन केन्द्र के माध्यम से त्रुटि रहित प्रमाण पत्र समय पर उपलब्ध कराने हेतु सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

(अनुपालन- सचिव, उप निदेशक, परीक्षा एवं मूल्यांकन विभाग)

(11) व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित कक्षाओं के लिए राशि उपलब्ध नहीं कराई जाती है।

मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी द्वारा कहा गया कि इस संबंध में बोर्ड के स्तर पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है। जल्द ही व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित कक्षाओं के लिए राशि अध्ययन केन्द्रों के

समन्वयकों को बैंक खाते के माध्यम से उपलब्ध करा दिए जाएंगे। जिन समन्वयकों द्वारा खाता संख्या उपलब्ध नहीं कराया गया है, उन्हें राशि हस्तांतरित नहीं की जाएगी।

(अनुपालन- सचिव, व0 का0 पदा0-1, विद्यार्थी सहायता सेवाएँ विभाग)

(12) परीक्षा केन्द्र अनुमंडल स्तर पर बनाए जाने की आवश्यकता है जिससे शिक्षार्थियों की संख्या में वृद्धि हो सके। जिले की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए आवश्यकतानुसार एक से अधिक परीक्षा केन्द्र बनाए जाने चाहिए।

सचिव द्वारा कहा गया कि अनुमंडल स्तर पर परीक्षा केन्द्र बनाने हेतु शिक्षार्थियों की संख्या में वृद्धि करने के आवश्यकता है। जैसे-जैसे शिक्षार्थियों की संख्या में वृद्धि होगी अनुमंडल/प्रखंड स्तर पर परीक्षा केन्द्र बनाए जाएंगे। जिले की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए आवश्यकतानुसार एक से अधिक परीक्षा केन्द्र बनाए जाने के संबंध में भी निर्णय लिया जाएगा।

(अनुपालन- सचिव, उप निदेशक, परीक्षा एवं मूल्यांकन विभाग)

(13) बोर्ड के प्रमाण पत्रों की मान्यता सेना की भर्तियों में नहीं दिया जाता है।

मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी द्वारा कहा गया कि इस संबंध में बोर्ड के स्तर से सेना भर्ती बोर्ड से बोर्ड के प्रमाण पत्रों की मान्यता के संबंध में पत्राचार किया जाएगा।

(अनुपालन- उप निदेशक, परीक्षा एवं मूल्यांकन विभाग)

(14) नेपाल के रहने वाले बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से उत्तीर्ण शिक्षार्थियों के निबंधन/नामांकन अध्ययन केन्द्रों के द्वारा किया जा सकता है अथवा नहीं?

मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी द्वारा कहा गया कि इस संबंध में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो व्यवस्था लागू है वही व्यवस्था इस बोर्ड में भी लागू की जाएगी। इस संबंध में बोर्ड के स्तर विचार-विमर्श कर त्वरित कार्रवाई की जाएगी।

(अनुपालन- व0 का0 पदा0-1, विद्यार्थी सहायता सेवाएँ विभाग)

(15) निबंधन/नामांकन के पश्चात काफी दिनों तक परिचय पत्र नहीं मिलता है। इसके लिए समय सीमा तय की जानी चाहिए।

मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी द्वारा कहा गया कि इस संबंध में जल्द ही बोर्ड के द्वारा कार्य योजना बनाकर समन्वयकों से पत्राचार किया जाएगा। सभी कार्य चरणबद्ध तरीके से निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत किए जाएंगे।

(अनुपालन- सचिव, व0 का0 पदा0-1, विद्यार्थी सहायता सेवाएँ विभाग)

(16) शिक्षार्थियों के नामांकन में त्रुटियों के सुधार में काफी समय लगता है। समयबद्ध तरीके से त्रुटियों को सुधारा जाना चाहिए।

मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी द्वारा कहा गया कि इस संबंध में जल्द ही बोर्ड के द्वारा समन्वयकों से पत्राचार किया जाएगा। सभी कार्य चरणबद्ध तरीके से निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत किए जाएंगे।

(अनुपालन- उप निदेशक, परीक्षा एवं मूल्यांकन विभाग, व0 का0 पदा0-1, विद्यार्थी सहायता सेवाएँ विभाग)

(17) अन्य बोर्ड के विद्यार्थियों को परीक्षा में 99 प्रतिशत तक अंक आते हैं किन्तु इस बोर्ड में अच्छे-से-अच्छे शिक्षार्थी को भी 63-64 प्रतिशत से अधिक अंक नहीं आते हैं। शिक्षार्थियों को अंक देने में परीक्षकों को उदारता बरतनी चाहिए। इससे नामांकन में भी वृद्धि होगी।

मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी द्वारा कहा गया कि इस संबंध में जल्द ही बोर्ड के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से विमर्श कर बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड के वीक्षकों की बैठक बुलाकर इस पर विमर्श किया जाएगा।

(अनुपालन- उप निदेशक, परीक्षा एवं मूल्यांकन विभाग)

(18) परीक्षा से संबंधित प्रश्नों को सरल रखना चाहिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघुउत्तरीय प्रश्न अधिक संख्या में पूछे जाने चाहिए।

मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी द्वारा इस संबंध में सहमति व्यक्त की गई और यह आश्वासन दिया गया कि आगामी परीक्षाओं में प्रश्नों के सरल रखा जाएगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघुउत्तरीय प्रश्न अधिक संख्या में पूछे जाएंगे ।
(अनुपालन- उप निदेशक, परीक्षा एवं मूल्यांकन विभाग)

(19) टी0ओ0सी0 कार्यक्रम एक विषय हेतु भी लागू किया जाना चाहिए ।

मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी द्वारा कहा गया कि इस संबंध में बोर्ड के स्तर से निर्णय लिया जाएगा ।
(अनुपालन- सचिव, व0 का0 पदा0-1, विद्यार्थी सहायता सेवाएँ विभाग)

(20) प्रव्रजन प्रमाण पत्र माध्यमिक उत्तीर्ण शिक्षार्थियों को भी उच्च माध्यमिक उत्तीर्ण शिक्षार्थियों के समान स्वतः प्रदान किया जाना चाहिए ।

मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी द्वारा कहा गया कि इस संबंध में बोर्ड के स्तर से निर्णय लिया जाएगा ।
(अनुपालन- सचिव, उप निदेशक, परीक्षा एवं मूल्यांकन विभाग)

(21) सामाजिक विज्ञान विषय में 20 अंक प्रायोगिकी के लिए तथा 80 अंक सैद्धांतिक के लिए आवंटित होने चाहिए ।

मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी द्वारा कहा गया कि इस संबंध में बोर्ड के स्तर से निर्णय लिया जाएगा ।
(अनुपालन- सचिव, उप निदेशक, परीक्षा एवं मूल्यांकन विभाग)

(22) शिक्षार्थियों के नामांकन के लिए ऑनलाईन की सुविधा प्रारंभ की गयी है। बोर्ड के वेबसाइट www.bbose.org पर निबंधन/नामांकन (registration) की सुविधा उपलब्ध है।

(23) निबंधन/नामांकन की अंतिम तिथि 20 फरवरी एवं 31 अगस्त को विस्तारित किया जाए जैसा कि इस सत्र के लिए निबंधन/नामांकन की अंतिम तिथि 20 फरवरी को विस्तारित कर 31 मई किया गया है सचिव द्वारा कहा गया कि इस संबंध में बोर्ड के स्तर पर निर्णय लिया जाएगा ।

(अनुपालन- सचिव, व0 का0 पदा0-1, विद्यार्थी सहायता सेवाएँ विभाग)

(24) परीक्षाफल प्रकाशन के बहुत समय बाद अंकपत्र एवं चेकलिस्ट अध्ययन केन्द्रों को भेज जाता है । अंकपत्र में श्रेणी अंकित किया जाना चाहिए ।

सचिव द्वारा कहा गया कि इस संबंध में बोर्ड के स्तर पर पदाधिकारियों से विमर्श कर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। निकट भविष्य में इसके परिणाम परिलक्षित होंगे । सभी संबंधित पदाधिकारियों की जबाबदेही तय की जाएगी। अंकपत्र में श्रेणी अंकित करने के संबंध में सरकार के स्तर पर पत्राचार किया जाएगा और तदनुसार कार्रवाई की जाएगी ।
(अनुपालन- सचिव, उप निदेशक, परीक्षा एवं मूल्यांकन विभाग)

(25) परीक्षाफल प्रकाशन के उपरांत परीक्षा आयोजन से संबंधित विपत्रों का भुगतान किया जाना चाहिए ताकि परीक्षा में सहयोग करने वाले वीक्षकों को पारिश्रमिकी का भुगतान किया जा सके ।

सचिव द्वारा कहा गया कि इस संबंध में बोर्ड के स्तर पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। निकट भविष्य में इसके परिणाम परिलक्षित होंगे ।
(अनुपालन- सचिव, उप निदेशक, परीक्षा एवं मूल्यांकन विभाग)

(26) बोर्ड द्वारा परीक्षार्थियों की सुविधा हेतु मॉडल गेस पेपर प्रकाशित किया जाना चाहिए ।

सचिव द्वारा कहा गया कि इस संबंध में बोर्ड के स्तर पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। उत्तीर्णता व प्रतिशत बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे ।
(अनुपालन- उप निदेशक, परीक्षा एवं मूल्यांकन)

(27) जिला स्तर पर समन्वयकों/उप समन्वयकों के साथ बोर्ड के द्वारा बैठक का आयोजन किया जाना चाहिए ।

सचिव द्वारा कहा गया कि जैसे-जैसे शिक्षार्थियों की संख्या में बढ़ोत्तरी होगी, जिला स्तर पर समन्वयकों/उप समन्वयकों के साथ बोर्ड के द्वारा बैठक के आयोजन के संबंध में कार्रवाई की जाएगी ।

(अनुपालन- सचिव, व0 का0 पदा0-1, विद्यार्थी सहायता सेवाएँ विभाग)

(28) समन्वयकों/उप समन्वयकों को मूल्यांकन कार्य हेतु बुलाया जाना चाहिए ।

सचिव द्वारा कहा गया कि जैसे-जैसे शिक्षार्थियों की संख्या में बढ़ोत्तरी होगी, समन्वयकों/उप समन्वयकों को मूल्यांकन कार्य हेतु बुलाया जाएगा ।

(अनुपालन- उप निदेशक, परीक्षा एवं मूल्यांकन विभाग)

(29) परीक्षा शुल्क बैंकड्राफ्ट के अलावे चालान एवं बैंक खाते के माध्यम से भुगतान की भी सुविधा दी जानी चाहिए जिससे शिक्षार्थियों की संख्या में वृद्धि हो सके ।

सचिव द्वारा कहा गया कि इस संबंध में बोर्ड के स्तर पर निर्णयोपरांत कर त्वरित कार्रवाई की जाएगी ।

(अनुपालन- सचिव, उप निदेशक, परीक्षा एवं मूल्यांकन विभाग)

(30) समन्वयकों/उप समन्वयकों को सभी प्रकार की सूचना एवं जानकारी एस0एम0एस0 के द्वारा उपलब्ध कराई जानी चाहिए ।

सचिव द्वारा कहा गया कि इस संबंध में बोर्ड के स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। बोर्ड के वेबसाइट पर सभी महत्वपूर्ण सूचनाएँ अपलोड करा दिये जायेंगे। प्रतिदिन समन्वयक उप समन्वयक वेबसाइट पर जाकर चेक करेंगे तथा बोर्ड की गतिविधियों से अवगत रहेंगे।

(अनुपालन- सचिव)

(31) समन्वयकों/उप समन्वयकों द्वारा विचार व्यक्त किया गया कि सभी विषयों में 20 अंक एसेसमेंट के लिए आवंटित होने चाहिए ।


सचिव द्वारा कहा गया कि इस संबंध में बोर्ड के स्तर निर्णय लिया जायेगा।

(अनुपालन- उप निदेशक, अकादमिक, उप निदेशक, परीक्षा एवं मूल्यांकन विभाग)

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(पूनम कुमारी)

स चि व


24/05/16
(एम0 रामचंद्रुडु)

मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी

ज्ञाप संख्या-

पटना, दिनांक-

बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना से संबंधित अध्ययन केन्द्रों के समन्वयकों/उप समन्वयकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


24-05-16
(पूनम कुमारी)

स चि व

ज्ञाप संख्या- 390

पटना, दिनांक- 25/5/2016

बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना के सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


25-05-16
(पूनम कुमारी)

स चि व